रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2427] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934
No. 2427] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2928(अ).—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन डी एफ बी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/79/2012-एनई-V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2012

S.O. 2928(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes " The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Manmohan Singh, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/79/2012-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

4663 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.